सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 19, बुधवार, शाके 1944-फरवरी 08, 2023

Magha 19, Wednesday , Saka 1944- February 08, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रिंयाबड़ी, जिला-नागौर

प्रपत्र – 09

(धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत घोषणा एवं सार)

नियम 21 के उप नियम (1)

घोषणा

जयपुर, फरवरी 03, 2023

संख्याः प.7(513)एस.एच.ए./पीपीपी/2020-21, राजस्थान सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची की सम्बद्ध सारणी में वर्णित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ग्राम-सैसडा, तहसील-रिंयाबड़ी, जिला-नागौर में नसीराबाद-मांगलियावास-पादूकलां (राज्य राजमार्ग संख्या-102) परियोजना सड़क के लिए आवश्यक है।

अतः एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार कुल **1.2160 हैक्टेयर** भूमि उपरोक्त परियोजना के लिए ग्राम-सैसडा, तहसील-रिंयाबड़ी, जिला-नागौर की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधिग्रहण किया जाना है, जिसका विवरण निम्न सूची के अनुसार है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या/ भू- खण्डों कि संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	नागौर	रिंयाबड़ी	सैसडा	5	1.2160
			कुल	**5**	**1.2160**

यह घोषणा भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के प्रावधानों तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों के उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को सुनने, जाँच एवं उनका निस्तारण कर एवं सरकार द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत की गई है।

इस भू-अर्जन के कारण पुनर्वासन होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौहा-पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खादानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है के ऐसे भागों को छोड़कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण/अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रिंयाबड़ी, जिला-नागौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति/परिवार का विस्थापन निहीत नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के पुनर्वासन योजना प्रस्ताव शून्य होने से प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, परियोजना प्रतिवेदन का अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रिंयाबड़ी, जिला-नागौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्य का नामः- राज्य राजमार्ग नसीराबाद-मांगलियावास-पादूकलां (एस.एच.-102) सड़क का विकास (निर्माण) कार्य स्थल विवरण पत्र का प्रारूप-09, ग्राम-सैसडा, तहसील-रिंयाबड़ी, जिला-नागौर।

प्रभावित क्षेत्र का विवरण-

अनुसूची

नसीराबाद-मांगलियावास-पादूकलां (एस.एच.-102) राज्य राजमार्ग परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति की धारा-19, भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रिंयाबड़ी, जिला-नागौर में प्रभावित खसरों की सूची।

क्र. सं.	सर्वेक्षण (खसरा) संख्या	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	वृक्षों की संख्या/प्रकार	संरचनाओं का विवरण
ग्राम- सैसडा							
1	680	सरकारी	गै.मु. गोचर	0.2640	चारागाह हिस्सा-पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु	-	-
2	678	सरकारी	गै.मु. गोचर	0.2800	चारागाह हिस्सा-पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु	-	-
3	696	सरकारी	गै.मु. गोचर	0.1600	चारागाह हिस्सा-पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु	-	-
4	697	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.1600	राजस्थान सरकार	-	-
5	687	निजी	बारानी उत्तम बी	0.3520	भँवरलाल पुत्र माँगूराम हिस्सा-पूर्ण जाति-जाट सा. देह खातेदार	नीम - 5 खेजड़ी - 6	-
			कुल योग	**1.2160**			

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।